भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DM 381975

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा ..... प्रथम पक्ष

मैसर्स
श्री चन्द्रवीर सिंह
पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह
नगला रामसुन्दर, इटावा ..... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष सामु0स्वा0 केन्द्र जसवन्तनगर में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 75 M 8651 रू0 24000/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इश्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

चन्द्रवीर सिंह

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशें का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशें का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24000/– (चौबीस हजार मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशें के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)
मुख्य चिकित्साधिकारी
इटावा

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
चन्द्रवीर सिंह
श्री चन्द्रवीर सिंह
पुत्र श्रीकृपापाल सिंह
नगला रामसुन्दर, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर............
नाम/पता...अजीत पाल सिंह
कटरा बुलाकी दास, जसवन्त नगर
इटावा

2. हस्ताक्षर D. P. Singh
नाम/पता– धीरेन्द्र प्रताप सिंह
नगला राम सुन्दर जसवन्तनगर
इटावा

गवाह (3) ज्ञानेश प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 APR 2017

DM 425424

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा

..... प्रथम पक्ष

मैसर्स
श्री साबिर शेख
190, सती मोहल्ला, इटावा

..... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

i. द्वितीय पक्ष सामु0स्वा0 केन्द्र बसरेहर, इटावा में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 75 M 6261 रू0 24900/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24900/– (चौबीस हजार नौ सौ मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
साबिर शेख
श्री साबिर शेख
190, सती मोहल्ला, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर अनुज चौरसिया
नाम/पता सती मुहल्ला
इटावा

2. हस्ताक्षर रोहित चौहान
नाम/पता– फ्रेन्ड्स कालोनी
इटावा

गवाह (3) गंगेश प्रताप सिंह

9 MAY 2017 (28)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार, इटावा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17 MAY 2017 DM 430127

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18 उत्तर प्रदेश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ..... प्रथम पक्ष
इटावा

मैसर्स
श्री अनुज कुमार गुप्ता ..... द्वितीय पक्ष
सरसईनावर, इटावा

Takaha

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष सामु0स्वा0 केन्द्र सरसईनावर, इटावा के कार्यालय में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 77 Q 5279 रू0 24000/– (चौबीस हजार मात्र) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

(27)

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24000/- (चौबीस हजार मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट-फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

अनुज

श्री अनुज कुमार गुप्ता
ग्रा0 सरसईनावर, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर......[signature]
नाम/पता......[illegible]
......................इटावा

2. हस्ताक्षर Piyush Mittal
नाम/पता— Piyush Mittal
Monitower, barbil adicha

गवाह (3) [illegible] प्रताप सिंह

31 MAR 2017 (22)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23 MAR 2017 DM 412894

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी .... प्रथम पक्ष
इटावा

मैसर्स
श्री शशि कुमार
शान्ती कॉलौनी, इटावा .... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष कार्यालय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), इटावा के कार्यालय में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 75 M 8702 रू0 24000/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
   - वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
   - वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्स्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

Shashi Kumar

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24000/– (चौबीस हजार मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः.....

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

श्री शशि कुमार
शान्ती कॉलौनी, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर.....
नाम/पता.....

2. हस्ताक्षर.....
नाम/पता–.....

25 APR 2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

DM 425479

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पुर्नअनुबन्ध–पत्र 20 APR 17

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

..... प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा

मैसर्स
श्री संजय यादव
220, मालियन टोला, छिपैटी, इटावा

..... द्वितीय पक्ष

Bike/Scooter

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष कार्यालय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), इटावा के कार्यालय में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 77 R 5123 रू0 23500/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

vi- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा

Chief Medical Officer

द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर धरोहर निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 23500/– (तेईस हजार पॉच सौ मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

श्री संजय यादव
220, मालियन टोला, छिपैटी, इटावा
कानपुर देहात

गवाह

1. हस्ताक्षर.......
नाम/पता.......................
....

2. हस्ताक्षर.... Mahesh Yadav.
नाम/पता–..... Mealiyan Ajabpur
.... Etawah.

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

- 6 APR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DM 415704

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा ..... प्रथम पक्ष

मैसर्स
श्री नरेन्द्र कुमार
शुक्ल तालाब, अकबरपुर, कानपुर देहात ..... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष शासु चि.अ. इन्द्र अर्न्तग इटावा के कार्यालय में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शतों को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 77 T 3451 रू0 25000/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 25000/– (पच्चीस हजार मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Etawah (U.P.)
इटावा

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

NKumar
श्री नरेन्द्र कुमार
शुक्ल तालाब, अकबरपुर
कानपुर देहात

गवाह

1. हस्ताक्षर.............................
नाम/पता– रोहित सिंह वर्मा
.... C.M.O. कार्यालय, इटावा

2. हस्ताक्षर.............................
नाम/पता– [illegible]
[illegible]

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 APR 2017

DM 415472

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा ..... प्रथम पक्ष

मैसर्स
श्री आशुतोष गुप्ता
362, शान्ती कॉलौनी, इटावा ..... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष सामु0स्वा0 केन्द्र सैफई में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 75 M 6264 रू0 24000/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

Ashutosh Gupta

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24000/- (चौबीस हजार मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट-फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबंध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः............

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

श्री आशुतोष गुप्ता
362, शान्ती कॉलौनी, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर......................
नाम/पता.... Soham Prakash Gupta
Shanti Colony Etawah

2. हस्ताक्षर ......
नाम/पता ......
....

गवाह (3) गंगेश प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 APR 2017

DM 425126

पुर्नअनुबन्ध–पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध–पत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा ..... प्रथम पक्ष

मैसर्स
श्री इन्द्रेश कुमार
ग्रा0 व पो0 मढ़ैया अजबपुर, इटावा ..... द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु संचालन के सम्बन्ध में जनपद इटावा में सम्पादित किया गया इस अनुबन्ध की अवधि 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 अथवा नवीन निविदा होने तक, जो भी पूर्व में हो तक मान्य होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हतु वाहन उपलब्ध कराने हतु अनुबन्ध पत्र की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1. द्वितीय पक्ष सामु0रवा0 केन्द्र उदी, इटावा के कार्यालय में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में वाहन को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

i- सेवा प्रदाता प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित वाहन UP 77 P 8964 रू0 24990/– (प्रतिमाह) किराये पर उपलब्ध करायेगा।

ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।

- वाहन टैक्सी परिमिट में पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत् मिलेगी।

iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम जो धरोहर राशि जमा की गयी है जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी अथवा वाहन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में धरोहर राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा। जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालक को सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक किसी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन कार्यालय में प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 अथवा कार्यालय/चिकित्सा इकाई के खुलने के समयानुसार वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वाह उपलब्ध कराने तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के उपरान्त प्रतिमाह रू0 24990/– (चौबीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र) का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट व मरम्मत की व्यवस्था तत्काल द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहन अधिकतम 2500 किमी0 प्रतिमाह चलाया जायेगा।
9. वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, के अधीन अनुबन्धित है उक्त वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा में किराये/भाडे पर (किसी भी पार्टी एवं अन्य कार्यक्रमों में) नही चलाया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो देय धनराशि से कटौती अथवा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष अथवा निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
11. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल इटावा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि द्वित्तीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अथवा कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः इटावा

दिनांकः.....

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इटावा

Chief Medical Officer
Etawah (U.P.)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

श्री इन्द्रेश कुमार
ग्रा0 व पो0 मढैया अजबपुर, इटावा

गवाह

1. हस्ताक्षर.....
   नाम/पता.....
   .....

2. हस्ताक्षर.....
   नाम/पता–.....
   .....